वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

दिनांक : 18/09/2023.

क्रमांक : ई0 / FCA/1574

सेवा में

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.0829 hectare forest land along on Dadri-Loharu road(NH-334B) AT KM. 191.932(LHS) village Barsana, Tehsil Dadri, District Charkhi Dadri.

Online Proposal : FP/HR/Approach/150672/2021

संदर्भ :आपके कार्यालय के पत्र कमांक 9-HRB029/2023 दिनांक 19.07.2023

—

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा अपेक्षित मदवाईज सूचना निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :–

1–6. प्रस्ताव में संशोधित सी0ए0 स्कीम (प्रति संलग्न) अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 674554 / – रूपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है । ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है ।

7. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
8. Undertaking from DFO is enclosed.
9. Regarding undertaking from CEO State CAMPA, you are requested to include this condition in final approval .

इसके अतिरिक्त स्टेज–I **2B** से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज–II स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

<u>संलग्न / उपरोक्त ।</u>

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।
15/9/23

प्रेषक

जिलाधीश,
चरखी दादरी।

प्रेषित

वन मण्डल अधिकारी
चरखी दादरी।

क्रमांकः 571 /पी0एल0ए0 दिनांकः 02/05/023

विषयः Diversion of 0.0829 ha. Forest land for access to retail outlet of IOCL at Khasra No 21//5, 12//25/3 on Charkhi Dadri-Loharu Road (NH-334B) at CH IN Km. 191.932(LHS), Village Barasa Tehsil Charkhi Dadri, Distt. Charkhi Dadri.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 914 दिनांक 15.09. 2022 के संदर्भ में

उक्त मामले में संदर्भित प्रमाण पत्र की मूल प्रति हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्नः उक्त।

FOREST DIVISION CHARKHI DADRI
RECIEPT No. 129 Date 04/5/023

FCA
04/05/23

कृते जिलाधीश, चरखी दादरी।

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST TIGHTS) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY CONCERNED COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of 0.0829 ha. Forest land for access to retail outlet of IOCL at Khasra no 21//5, 12//25/3 on Charkhi Dadri- Loharu road (NH-334B) at CH IN Km. 191.932(LHS), Village Barsana Tehsil Charkhi Dadri. Dist Charkhi Dadri.
File No. : FC FP/HR/Approach/150672/2021

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Divisional Forest Officer
CH. DADRI FOREST DIVN
CH. DADRI

Signature

Preeti, IAS
District Collector, Charkhi Dadri.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	INDIAN OIL CORPORATION LTD
Application No.	70150672982
MoEF/SG File No.	9-HRB029-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	HISAR DIVISIONAL OFFICE,SCO-40/41,SECTOR 13 P TOSHAM ROAD,HISARHisar
Amount(in Rs)	674554/-

Amount in Words :Six Lakh Seventy-Four Thousand Five Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970150672982 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	INDIAN OIL CORPORATION LTD
Application No.	70150672982
MoEF/SG File No.	9-HRB029-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	HISAR DIVISIONAL OFFICE,SCO-40/41,SECTOR 13 P TOSHAM ROAD,HISAR Hisar
Amount(in Rs)	674554/-

Amount in Words :Six Lakh Seventy-Four Thousand Five Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970150672982 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print | Back

UTR No- PUNBR52023072620416079

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)
हिसार मण्डल कार्यालय,
प्रथम तल, एस सी ओ 40-41, सैक्टर–13P, तोशाम रोड़
हिसार – 125005

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)
Hissar Divisional Office
First Floor, SCO 40-41, Sector-13P, Tosham Road,
Hissar-125005 (Haryana)
Tel. : 01662-246602,246603,246604
Website : www.iocl.com

इंडियनऑयल
IndianOil

विपणन प्रभाग
Marketing Division)

Ref.:HDO/RS/Barsana
Date:26.07.2023

Sub. DIVERSION OF FOREST LAND (0.0829 HECTARE) FOR THE PROPOSED FUEL STATION OF M/S INDIAN OIL CORPORATION LTD ON THE LAND HAVING KHASRA NO. 21/5, 12/25/3 ON CHARKHI DADRI – LOHARU ROAD (NH-334B) AT KM 191.932 (LHS) IN VILLAGE – BARSANA TEHSIL – DADRI AND DISTRICT- CHARKHI DADRI (HARYANA). **Proposal No. FP/HR/Approach/150672/2021)**

यह प्रमाणित किया जाता हैं की मैं, Bhupesh Kumar, Manager (RS) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंने वन भूमि के डाइवर्जन के लिए आवेदन किया हैं जोकि Village - Barsana, Tehsil – Dadri , District - Charkhi Dadri एवं राज्य – हरियाणा में कि॰ मी ॰ 191 से 192 के बीच में NH-334B के साथ पेट्रोल पंप तक पहुँचने के लिए हैं।

मैं वचन देता हूँ कि निम्न लिखित शर्तो का पालन किया जाएगा :-

1) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2) काँटे जाने वाले वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्यजीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वृक्षों/पौधों के पातन में हुए खर्च की राशि, प्रयोक्ता एजेंसी, राज्य वन विभाग को जमा कराएंगे ।
3) राज्य सरकार दुआरा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि compartment no. H43W2, Atela Distry, Rd 25-30 L/Side, Charkhi Dadri Range में 350 पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासम्भव, स्थानीय देसी प्रजाती मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाती का monoculture नहीं किया जायेगा।
4) वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीक्रत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेछानुसार नहीं बदलेंगे
5) नोडल अधिकारी(State CAMPA) यह सुनिश्चित करे की ईस कार्यालय द्वारा स्वीक्रत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
6) राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML Files को अपलोड करेगी।
7) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8) माननीय उच्वतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।
9) इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion कि अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष मे दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
10) पेट्रोल पंप की पूरी परिधि(Periphery) पर दिवार से 1.5m जगह छोड़ कर 1.0m से 1.5m के अंतराल पर light crown पेड़ो का व्रक्षारोपण किया जायेगा |
11) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुंच मार्ग(Entry/Exit or Deceleration / acceleration) व विभाजक द्वीप(separator island) पर भी पौधा रोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |
12) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

प्रबन्धक (...)/M... (RS)
हिसार ... ...onal Office
इंडियन ऑ...
Indian Oil Corp...
हिसार-125005/Hisar-125005

13) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
14) केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले&आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
15) कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
16) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के सारंक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है ।
17) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
18) इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशा निर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
19) यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ले ना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

26/7/23

Bhupesh Kumar
Manager (RS)
IOCL Hisar

भूपेश कुमार/Bhupesh Kumar
प्रबन्धक (... Manager (RS)
हिसार मण्डल ... Divisional Office
इंडियन ऑयल ...
Indian Oil Corporation Ltd.
हिसार-125005/Hisar-125005

प्रमाण पत्र

Diversion of 0.0829 ha of forest land for retail outlet on Dadri Loharu Road (NH-334B) at Km 191.932 (LHS), Village Barsana, Tehsil & Distt. Charkhi Dadri, under Forest Division Charkhi Dadri
Proposal No. FP/HR/Approach/150672/2021.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त केस में स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना स्वेच्छानुसार बदला नही जाएगा।

वन मण्डल अधिकारी,
चरखी दादरी।

letter fca 1722